न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2017 – रेफरेन्स

1. श्री रूपचन्द पिता राम लाल धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. श्री कृष्णगोपाल पिता रामलाल धाकड निवासी गोपालपुरा
3. श्री सांवरा पिता रामलाल धाकड निवासी गोपालपुरा
4. श्री सोहन पिता रामलाल धाकड निवासी गोपालपुरा
5. ईश्वर पिता रामलाल धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती गलकु बेवा उगमा रेबारी निवासी गोपालपुरा हा.मु. सिदडियास तहसील भीलवाडा
2. श्रीमती फल्लु पत्नी नाथू लाल रेबारी निवासी गोपालपुरा तहसील शाहपुरा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा

–विपक्षीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – विपक्षी सं. 01 की ओर से
3. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2019

प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का डाबला में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1471/116 रकबा 0.25 बंजड़ , 1473/98 रकबा 0.20 बंजड भूमि स्थित हैं जो कि रास्ता की भूमि हैं जिसमें होकर प्रार्थीगण गोपालपुरा में अपने आवासीय मकानों में आते जाते है। उक्त भूमि का वर्षो से रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग में लिया जा रहा हैं। वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 01 के नाम पर गलत रूप से आंवटन हुआ हैं। विपक्षी सं. 01 व 02 का नाम हटाये जाकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अंकित किये जाने हेतु यह रेफरेन्स आवेदन किया हैं। उक्त भूमि सेटलमेण्ट से पूर्व भी रास्ता में ही दर्ज थी। विपक्षी सं. 01 मूल निवास ग्राम गोपालपुरा का नही होकर ग्राम सिदडियास में निवास करती है। इसलिए उक्त भूमि की पात्रता नही रखती है। विपक्षी सं. 01 के नाम पर आवंटन होने के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना नही होने के बावजूद उक्त भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

में विपक्षी सं. 01 ने गलत रूप से खातेदारी प्राप्त कर विपक्षी सं. 02 के नाम पर विक्रय कर दी जिसमें नामान्तरकण सं. 67 दिनांक 18.12.2014 को विपक्षी सं. 02 के नाम पर दर्ज हो चुकी है। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का डाबला में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1471/116 रकबा 0.25 बंजड़ एवं 1473/98 रकबा 0.20 बंजड़ कुल कीता 2 रकबा 0.45 हैक्ट. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बिलानाम रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 01 का नाम हटाया जावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 13.06.2017 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं. 01 व 02 की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थीगण ने बहस में बताया कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का डाबला में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1471/116 रकबा 0.25 बंजड़ , 1473/98 रकबा 0.20 बंजड भूमि स्थित हैं जो कि रास्ता की भूमि हैं जिसमें होकर प्रार्थीगण गोपालपुरा में अपने आवासीय मकानों में आते जाते है। उक्त भूमि का वर्षों से रास्ता के रूप में उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 01 के नाम पर गलत रूप से आंवटन हुआ हैं। उक्त भूमि सेटलमेण्ट से पूर्व भी रास्ता में ही दर्ज थी। विपक्षी सं. 01 मूल निवास ग्राम गोपालपुरा का नही होकर ग्राम सिदडियास में निवास करती है। इसलिए उक्त भूमि की पात्रता नही रखती है। विपक्षी सं. 01 के नाम पर आवंटन होने के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना नही होने के बावजूद उक्त भूमि में विपक्षी सं. 01 ने गलत रूप से खातेदारी प्राप्त कर विपक्षी सं. 02 के नाम पर विक्रय कर दी। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का रेफरेन्स आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का डाबला में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1471/116 रकबा 0.25 बंजड़ एवं 1473/98 रकबा 0.20 बंजड़ कुल कीता 2 रकबा 0.45 हैक्ट. को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बिलानाम रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 01 का नाम हटाया जावे।

विपक्षीगण सं. 01 व 02 ने अपनी बहस मे बताया कि आवंटन सलाहकार समिति ने उक्त आराजी का आवंटन विपक्षी सं. 01 को विधिवत किया हैं। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया जिसके प्रकरण सं. 46/2014 आ.नि. कायम होकर दिनांक 26.05.2016 को निर्णय पारित किया गया। पारित निर्णय में आवंटन को विधिवत मानकर बहाल रखा गया। मौके पर आंवटित भूमि में कोई रास्ता नही है। उक्त निर्णय पारित होने के पश्चात् तथ्य छुपाकर करीब 01 वर्ष बाद उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो खारिज योग्य हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार से उक्त भूमि के संबंध में रेफरेन्स लाने के अधिकारी नहीं हैं। विपक्षीया द्वारा आवंटन शर्तों की पालना करने से उसे खातेदारी अधिकार भी दिये गये। तहसीलदार शाहपुरा के आदेश क्रमांक/प्रार्थना पत्र(047)/राजस्व/17/808 दिनांक 17.05.2017 की पालना में दिनांक 31.05.2017 को पटवार हल्का डाबला कचरा द्वारा मौका पर्चा बनाया गया, जिसमें विपक्षीया की आवंटित भूमि में कोई रास्ता नही होने व उक्त प्रार्थीगण के बाडे बिलानाम सरकारी भूमि में हैं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

तथा प्रार्थीगण द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा हैं तथा पटवार हल्का द्वारा मौका पर्चा में आबादी व आवंटनशुदा आराजी नम्बर 1471/116 के मध्य आराजी नम्बर 1472/116 रकबा 5.20 हैक्ट. बिलानाम सिवायचक भूमि में भी रास्ता उपलब्ध हो सकने बाबत् रिपोर्ट दी है। निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन व असत्य तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम गोपालपुरा पटवार हल्का डाबला में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1471/116 रकबा 0.25 बंजड़ एवं 1473/98 रकबा 0.20 बंजड़ कुल कीता 2 रकबा 0.45 हैक्ट. भूमि गलकू बेवा उगमा रेबारी सा. गोपालपुरा के नाम दिनांक 15.12.2004 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया। आवंटित भूमि दिनांक 13.01.2005 को पटवारी हल्का डाबला कचरा द्वारा मौके पर आवंटी को सुपुर्द की गयी। आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज होकर आवंटी को नामान्तरकरण सं. 146 दिनांक 06.02.2013 एवं नामान्तरकरण सं. 153 दिनांक 22.05.2014 से खातदारी दर्ज हो चुकी है। प्रार्थीगण ने पूर्व में प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण का प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 46/2014 निर्णय दिनांक 26.05.2016 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू आवंटन नियम 1970 का न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा खारिज किया गया। प्राथीगण ने आवंटित भूमि में रास्ता के रूप में मौके पर उपयोग उपभोग करने में त्रुटिपूर्ण आवंटन को धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया , जबकि प्रार्थीगण को रास्ते हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करना चाहिये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के अन्तर्गत प्रतिवेदन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित नही किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से प्रतिवेदन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित नही किया जा सकता है। प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही समाप्त की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)